राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

21.11.2016

क्रमांकः प.11(39)गृह–12/कारा/2001पार्ट   जयपुर, दिनाकः 21 NOV 2015

–: आदेश :–

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.10.2015 के द्वारा दौसा जिलें में स्थित उप कारागृह, बांदीकुई के लिए मनोनीत गैर सरकारी दर्शक श्री ऋषि फतेहपुरिया के सम्बन्ध में आपत्ति प्राप्त हुई है। अतः राजस्थान कारागार नियम के पार्ट–23 के नियम 4 (बी) के प्रावधानांतर्गत दौसा जिले में स्थित उप कारागृह, बांदीकुई के लिए मनोनीत गैर सरकारी दर्शक श्री ऋषि फतेहपुरिया के मनोनयन आदेश तुरंत प्रभाव से निरस्त किये जाते है।

(के.के. शर्मा)
शासन उप सचिव,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कारागार मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
3. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, दौसा को प्रेषित कर लेख है कि आपके जिले में स्थित उप कारागृह, बांदीकुई के लिए गैर सरकारी दर्शक के मनोनयन नये सिरे से किये जाने हेतु प्रस्ताव अविलम्ब इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
5. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति मय सॉफ्ट प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचना की दो प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
6. प्रभाराधिकारी, उप कारागृह, बांदीकुई, दौसा।
7. श्री ऋषि फतेहपुरिया, मार्फत जिला कलक्टर, दौसा।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव,